न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 –123/2019

अनवान : –

1. रतनसिंह पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।
2. अशोक कुमार पुत्र श्योचन्द उर्फ शिवचन्द जाति-जाट नि०- पचारवाली।

:– वादीगण

ब ना म

1. श्योचंद उर्फ शिवचंद पुत्र तेजा उर्फ तेजाराम जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा
2. पवनकुमार पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।
4. कृष्णा पुत्री श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादी**
श्री ताराचंद मोठसरा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 12/03/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 75/71 के खसरा सं0 1, 2, 6, 13 व 21/1 कुल 14.582है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी श्योचंद पुत्र तेजा के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा तेजा की खातेदारी हुआ करती थी। तेजा के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी श्योचंद के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी श्योचंद कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी श्योचंद अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी श्योचंद के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से इकबालदावा पेश किया। साक्ष्यवादी में वादी रतनसिंह पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा के साक्षय करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही पचारवाली संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही पचारवाली संवत 2044 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पचारवाली प्रदर्श 3, नक्शा वादभूमि प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 75/71 के खसरा सं0 1, 2, 6, 13 व 21/1 कुल 14.582है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी श्योचंद पुत्र तेजा के नाम से 1/2 हिस्सा के नाम खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये अपना इकबालदावा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 75/71 के खसरा सं0 1, 2, 6, 13 व 21/1 कुल 14.582है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी श्योचंद पुत्र तेजा के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 3 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा (जिला हनुमानगढ़) (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —123 / 2019

अनवान : —

1. रतनसिंह पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।
2. अशोक कुमार पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति- जाट नि.- पचारवाली

:— वादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जि—

ब ना म

1. श्योचंद उर्फ शिवचंद पुत्र तेजा उर्फ तेजाराम जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा
2. पवनकुमार पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।
4. कृष्णा पुत्री श्योचंद उर्फ शिवचंद जाति जाट निवासी पचारवाली त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण ताराचंद मोठसरा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण अनुतोष राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा पचारवाली के खाता सं0 75 / 71 के खसरा सं0 1, 2, 6, 13 व 21 / 1 कुल 14.582है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी श्योचंद पुत्र तेजा के नाम से 1 / 2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 3 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)